राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 704वी बैठक दिनांक 14.02.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 704वी बैठक दिनांक 14.02.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8881/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
2.	8883/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	8688/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	8703/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8738/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	8725/2021	5 (a) B-1	केमिकल्स फर्टिलाईजर प्रोजेक्ट	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	8635/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	8769/2021	1(a) B-1	लाईमस्टोन खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	5584/2017	1 (c)	रिवर वैली प्रोजेक्ट	Revert back to SEIAA	Closed
10.	6393/2019	5 (f)	सिंथेटीक ऑर्गेनिक केमिकल्स	For Delist	Delisted
11.	8170/2021	1(a) B-1	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8886/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
13.	8887/2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	5768/2018	1(a) B-2	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (संशोधन)	संशोधन स्वीकृत
15.	5769/2018	1(a) B-2	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (संशोधन)	संशोधन स्वीकृत
16.	8665/2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	8846/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	8845/2021	1(a) B-2	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
19.	5611/2017	1(a) B-2	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (संशोधन)	संशोधन स्वीकृत
20.	8752/2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
21.	8773/2021	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. प्रकरण क्र. 8881/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार राजपूत, आत्मज श्री रामेश्वर राजपूत निवासी वार्ड नं. 40, सीताराम कॉलोनी, जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घन.मी. टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.708 हेक्टेयर, खसरा 189/1 ग्राम गंजसिजारी, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(v) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(vi) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 8883/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री हिर्देश पाठक, आत्मज श्री रामकुमार पाठक निवासी ग्राम हमा, पोस्ट निवारी, जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.0 हेक्टेयर, खसरा 189/1 ग्राम गंजसिजारी, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(v) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(vi) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 8688/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील आत्मज श्री बंशीलाल, निवासी 912, ग्वाली मोहल्ला, ग्वाली पलासिया, जिला इंदौर (म.प्र)–453441 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 427/2 ग्राम अकावी, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 एवं 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम अकावी के शासकीय विद्यालय में 02 सोलर लाईट तथा वाटर फिल्टर प्रदान किया जायेंगा।
- ग्राम अकावी के आंगनवाड़ी केन्द्र में औषधीय गार्डन विकसित किया जायेंगा।
- ग्राम अकावी में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील आत्मज श्री बंशीलाल, निवासी 912, ग्वाली मोहल्ला, ग्वाली पलासिया, जिला इंदौर (म.प्र)–453441 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 427/2 ग्राम अकावी, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रं. 865 दिनांक 27.08.2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.08.2028 तक मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र. 8703/2021 परियोजना प्रस्तावक सुधीर कुमार राय, आत्मज स्व. श्री रामचन्द्र राय निवासी चौपड़ा कॉलोनी, पोस्ट मैहर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.651 हेक्टेयर, खसरा 192, 193, 194 ग्राम तनाजा बंशीपुर, तहसील मैहर, जिला– सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 696 वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णय एवं प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 एवं 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1981 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम तनाजा बंशीपुर, के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम तनाजा बंशीपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 2000 लीटर ओवरहेड टैक का निर्माण किया जाये एवं समुचित चैनलाइजेशन सिस्टम के साथ पानी की व्यवस्था की जाये।
- ग्राम तनाज़ा बंशीपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुधीर कुमार राय, आत्मज स्व. श्री रामचन्द्र राय, निवासी चौपड़ा कॉलोनी, पोस्ट मैहर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.651 हेक्टेयर, खसरा 192, 193, 194 ग्राम तनाजा बंशीपुर, तहसील मैहर, जिला– सतना (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रं. 1790 दिनांक 07.06.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.06.2031 तक मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8738/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी नीमच इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. निदेशक, संचालक श्री शरद कुमार गगरानी, जिला नीमच (म.प्र)–458441 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12,469 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 525, 570/1/1, ग्राम बरदिया आमरा, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **696 वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार एवं** प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 एवं 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर एवं विन्ड मिल से 300 मीटर प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बरदिया आमरा के शासकीय विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत, रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं खेल का मैदान को समतल कर झूले (स्लाइडस एवं स्वींग) लगाये जाये।
- ग्राम बरदिया आमरा के ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी नीमच इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. निदेशक, श्री शरद कुमार गनरानी, जिला नीमच (म.प्र)–458441 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12,469 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 525, 570/1/1, ग्राम बरदिया आमरा, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्रं. 15783 दिनांक 26.12.2020 के अनुसार उक्त खदान को 10 सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.12.2030 तक मान्य रहेगी।

6- **Case No 8725/2021**: Prior Environment Clearance for Expansion of Single Super Phosphate Fertilizer Unit (SSP, GSSP Plant) at Kanawati, Mhow-Nasirabad Road, Dist. Neemuch (MP) [with expansion capacity as SSP from 66,000 TPA to 1,80,000 TPA, ASSP from 66,000 TPA to 1,80,000 TPA], by M/s Arihant Fertilizer & Chemicals India Ltd, Village - Kanawati, Mhow-Nasirabad Road, Dist. Neemuch, MP Projects.

As per the **696th SEIAA meeting decision** the case was considered in 541 SEAC meeting dtd 20.01.22

"The case was scheduled w.r.t. issue raised by SEIAA in their meeting 696th meeting dated 10.12.2021 (regarding sulphuric acid manufacturing plant is installed/proposed for this project). The committee observed that due to typographical error, in the recommended TOR by error it was mentioned that sulphuric acid manufacturing plant is installed/proposed for this project. But it is obvious that neither sulphuric acid plant is installed nor proposed in the future by the PP. The committee after deliberation recommended that it was due to typographical error hence, after deliberation committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC and as per Annexure-D and other additional TOR points will remain same as recommended in the 527th SEAC meeting dtd.12.11.2021".

After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC with additional TORs and conditions mentioned in Annexure-D of 527th meeting dtd. 12.11.2021 and issue additional TOR by incorporating following conditions for preparation of EIA report:-

Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities should be studied and discussed in details during EIA study.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. प्रकरण क्र. 8635/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री यश जैन आत्मज श्री दीपक कुमार जैन, निवासी–मेन मार्केट, लखनादोन, जिला सिवनी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.66 हेक्टेयर, खसरा 294, 297, 298/2, ग्राम कसाई, तहसील लखनादोन, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **696 वी बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार एवं** SEAC 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 एवं 513वीं बैठक दिनांक 08.09.2021 में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall incorporate appropriate details and clarification of already excavated area within the lease in EIA report.

(ii) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(iii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iv) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(v) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(vi) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(vii) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(viii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(ix) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(x) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xi) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xii) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 8769/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंडर सीमेंट लि. संचालक श्री परमानंद पाटीदार, 17, ओल्ड फतेहपुरा, सेवा मंदिर, जिला उदयपुर (राजस्थान)–313004 द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 200000 टन प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड/स्क्रिन रिजेक्ट 15055 टन प्रतिवर्ष, रकबा 44.293 हेक्टेयर, खसरा 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4, 4/4/5, 4/5, 30, 37, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 44, 45, 46, 47, 48 ग्राम कोसदाना, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 697 वी बैठक दिनांक 27.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार एवं SEAC 541वी बैठक दिनांक 20.01.2022 एवं 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(v) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(viii) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(ix) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(x) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

9. **Case No. 5584/2017:** Prior Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Dist. Khandwa, MP Cultivable Command Area – 5000 ha, Gross Command Area – 42000 ha ; Earthen bund of maximum height as 22.90 M Gross Command Area 7500 ha; Catchment Area : 108.208 Sq km by Exécutive Engineer, Water Resource Département, Water Resource Division, Khandwa, MP E-mail: encwrbpl@mp.nic.in Ph no. – 0755-2552878

"The case was considered in 297th SEAC meeting dtd.08.11.2017 and recommended ToR and accordingly letter issued to PP (Vide letter No. 544 dtd. 13.12.17) to carry out EIA. Submission of EIA report is still awaited.
Vide WP/6240/2021 a Petition has been made in the said project by the Petitioner Sukhlal S/o Tumla and others. Petitioners have objected regarding the illegal construction of Aullia Medium Irrigation project without prior EC as per EIA Notification 2006.

Regarding factual status of the construction activities the case was considered in 681 SEIAA meeting dated 04-08-21, 514th SEAC meeting dtd. 21.09.21 and 689th SEIAA meeting dated 21.10.2021.

After submission of factual staus of the project the case was considered in 541st SEAC meeting dtd. 20.01.2022 and recorded that:-

"The committee after detailed discussion it was observed that the as per factual status submitted by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore. As per the submitted report By C.E. WRD, it is very much clear that they have carried out the partial construction work.
"Earth work has been carried out in 1693.50 lengths of left and right flanks of proposed dam. This work has been done non- overflow section. A sluice well has been constructed on RD 1605 m for discharge of River water. Construction work of spillway in nalla portion was restricted at original river bank level to maintain natural flow of water. Nalla closure has not been done. At present no work is being done in

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

head works.The laying of pipelines for pressurized irrigation system in the command area is under process.

So, as per the submitted report by Office of the Chief Engineer Narmada Tapti Basin, WRD, Indore, vide letter No. vide no. 479/work/-26/NT/21, dated 23.11.2021of Shri N.N. Gandhi, Chief Engineer, N-T Basin WRD, Indore, factual status is very much clear so committee feels there is no need of further site visit is required.

In this context PP should furnished implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan as mentioned in the MOEF&CC Notification New Delhi, the 8th March, 2018 S.O. 1030 (E) and submit present status of court direction through SEIAA".

As per above recommendation today the case was scheduled for discussion and recorded that: As per the submitted report By C.E. WRD, it is very much clear that they have carried out the partial construction work. Hence the project falls under the violation of the EIA notification 2006. For the Environmental clearance of the violation project the Ministry issued a Standard Operating Procedure dated 07th July 2021for identification and handling of violation cases under EIA Notification 2006. The SoP was challenged in the Madurai Bench of the High Court of Madras in the matter W.P.(MD) No. 11757 of 2021 titled Fatima Vs Union of India and was interim stayed vide order dated 15th July 2021.

As clarified by office memorandum dated 28.01.2022 issued by MoEF &CC,GoI the SoP has come into the force and the violation projects have to be considered accordingly.

In context of above, it is decided that the case no. 5584/2017 is hereby closed and PP should apply afresh as per as per procedure laid down in the said SoP.

10-**Case No. 6393/2019** : Prior Environment Clearance for Manufacturing of Synthetic Organic Chemicals at Plot No. 108B, 190, Meghnagar Industrial Area, Dist. Jhabua, MP Land area – 12519 sq. m. Propsed Capacity: 8000 MTPA by M/s Panoli Intermediates (India) Pvt. Ltd, F-108, Mohta Building, 4, Bhikhaji Kama Place, New Delhi - 110066, Email - hastingrajguru2018@gmail.com, Telephone - 011-26196368.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 702वीं बैठक दिनांक 28. 01.2022 में प्रकरण को Delist करने का निर्णय लिया चुका है।

11. प्रकरण क्र. 8170/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राबेला ट्रेडर्स एंड फाईनेंस प्रा. लि., प्लाट नं. 01, इन्डस्ट्रीयल एरिया, ढोंगा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र)–472001 द्वारा पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता पायरोफायलाईट 10000 एवं डायस्पोर 400 से 50000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.834 हेक्टेयर, खसरा 476, 477, ग्राम मरखेड़ा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट (A. Pre Mining Phase, B. Mining Operational Phase & C. Entire Life of the project) एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वन संरक्षक क्षेत्रीय वन मण्डल (ममौनगेट) टीकमगढ़ के पत्र क्र. 2259 दिनांक 10.07.2015 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के बाहर है ।
2. **लीज संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ का पत्र क्र. 115 दिनांक 08.02.2016 (03.12.1984 से 02.12.2034) के अनुसार 50 वर्ष के लिये खदान स्वीकृत की गई है।**
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 12 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.0 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 5.0 केएलडी हरित पट्टी विकास + 05 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति हैण्ड पम्प, मौजूदा खदान गढ्डे एवं सेटलिंक टेंक से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा न्यूनतम 12000 पेड़ प्रोजेक्ट साईट बाउंड्री के चारो ओर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 15.09.2021 को पंचायत भवन ग्राम मड़खेड़ा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

III. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 12000 पौधों का प्रथम दो वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में महिला एवं पुरूष हेतु अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना (सी.टी.ओ. जारी होने के 6 माह के अंन्दर) की जायें।
- ग्राम खेड़ा (जून 2022 से पूर्व) एवं मरखेड़ा (31 दिसंबर 2022 से पूर्व) में 02 हैण्ड पंम्प की स्थापना की जाये।
- ग्राम मरखेड़ा स्थित हनुमान जी मंदिर के चारो ओर 4 फिट ऊंची बाउन्ड्रीबाल का निर्माण किया जायें (31 मार्च से पूर्व) ।
- ग्राम मरखेड़ा से नंदनपुर तक पक्की सड़क का निर्माण हेतु सहयोग राशि प्रदान किया जायें (31 मार्च से पूर्व)।
- ग्राम मरखेड़ा एवं नंदनपुर की शासकीय माध्यमिक विद्याालय का 02 कम्प्यूटर प्रदान किये जायें।
- ग्राम खेड़ा, मरखेड़ा, नंदनपुर एवं सेमरीखेड़ा में 3000 पोधौं का वितरण (15000 पौधों का वितरण ग्राम खेड़ा में जून 2022 से पूर्व एवं ग्राम नंदनुपर व सेमरीखेड़ा में जून 2023 से पूर्व) ।
- ग्राम पंचायत के परामर्श से ग्राम में चारागाह क्षेत्र विकसित किया जाये (01 अप्रैल 2022 से पूर्व)।
- ग्राम पंचायत मरखेड़ा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राबेला ट्रेडर्स एंड फाईनेंस प्रा. लि., प्लाट नं. 01, इन्डस्ट्रीयल एरिया, ढोंगा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र)–472001 द्वारा पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता पायरोफायलाईट 10000 एवं डायस्पोर 400 से 50000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.834 हेक्टेयर, खसरा 476, 477, ग्राम मरखेड़ा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ का पत्र क्र. 115 दिनांक 08.02.2016 (03.12. 1984 से 02.12.2034) के अनुसार उक्त खदान को 50 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.07.2048 तक वैध मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 8886/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सखाराम यादव, निवासी ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसानुसार) एवं मुरूम 9510 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10 हेक्टेयर मे से 1.0016 हेक्टेयर (SEAC की अनुसंशानुसार उत्खनन हेतु शेष क्षेत्र) खसरा 92/2, ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान से पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन की संरचना होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, खण्डवा से प्रस्तावित खदान के निकटतम पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत क्या उत्खनन कार्य किया जा सकता है, का स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. प्रकरण क्र. 8887/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री पवन सिंह रावत आत्मज श्री चंदन सिंह रावत, वार्ड नं. 17, रघुवेन्द्र नगर, जिला शिवपुरी (म.प्र)–473551, द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 133/2, ग्राम –पदौरा सड़क, तहसील कोलारस, जिला – शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों का नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1505 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पदौरा, के शासकीय विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण किया जाये, पुस्तक तथा वाटर फिल्टर प्रदान किया जायें।
- ग्राम पदौरा, के शासकीय विद्यालय के शौचालय की मरंम्मत एवं खेल मैदान को विकसित किया जाये।
- ग्राम पदौरा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री पवन सिंह रावत आत्मज श्री चंदन सिंह रावत, वार्ड नं. 17, रघुवेन्द्र नगर, जिला शिवपुरी (म.प्र)–473551, द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 133/2, ग्राम –पदौरा सड़क, तहसील कोलारस, जिला – शिवपुरी (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रं. 2237 दिनांक 01.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.08.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 5768/2018 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्पान मिनिरल्स प्रा. लि., निदेशक, श्री चन्द्रा शेखर प्रसाद सिहं, निवासी जी–3, बी–विंग, हेटकुंज वी.पी. रोड़, फिदाई बघेलन अपोजिट मित्तल कुंज अंधेरी, वेस्ट मुबंई (महाराष्ट्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.500 हेक्टेयर, खसरा 2610, ग्राम छिल्पा, तहसील एवं जिला अनूपपुर (म.प्र.) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों (Online एवं Hardcopy) का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. प्रकरण में SEIAA समिति की 514 वी बैठक दिनांक 14.12.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क्र. 1992 दिनांक 10.01.2019 द्वारा ग्रेनाईट ब्लाक उत्पादन क्षमता 10500 घन मीटर/वर्ष रकवा 9.500 हे. ग्राम छिल्पा, तहसील एव जिला अनूपपुर (म.प्र.) हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।
2. पूर्व में SEIAA द्वारा ऑफलाईन आवेदन को मान्य करते हुए 633वी बैठक दिनांक 21.08.2020 के निर्णयानुसार पत्र क्र. 2777–78 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
3. SEIAA उक्त संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति को 681वी बैठक दिनांक 04.08.2021 में निलम्बित रखते हुए परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पत्र क्र. 1727–28 दिनांक 24.08.2021 को सूचित किया गया।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म –4 मे पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन किया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10.01.2019 में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्पान मिनिरल्स प्रा. लि., निदेशक, श्री चन्द्रा शेखर प्रसाद सिहं, निवासी जी–3, बी–विंग, हेटकुंज वी.पी. रोड़, फिदाई बघेलन अपोजिट मित्तल कुंज अंधेरी, वेस्ट मुबंई (महाराष्ट्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.500 हेक्टेयर, खसरा 2610, ग्राम छिल्पा, तहसील एवं जिला अनूपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1992–93 दिनांक 10.01.2019 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

15. प्रकरण क्र. 5769/2018 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्पान मिनिरल्स प्रा. लि., निदेशक, श्री चन्द्रा शेखर प्रसाद सिहं, निवासी जी–3, बी–विंग, हाटकुंज वी.पी. रोड़, अंधेरी, (वेस्ट) मुबंई , महाराष्ट्र, द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.646 हेक्टेयर, खसरा 129/2, 130 से 134, 154/5, ग्राम चटुआ, तहसील एव जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों (Online एवं Hardcopy) का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. प्रकरण में SEIAA समिति की 519 वी बैठक दिनांक 05.01.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क. 2059–60 दिनांक 23.01.2019 द्वारा ग्रेनाईट ब्लाक उत्पादन क्षमता 10500 घन मीटर/वर्ष रकवा 8.646 हे. ग्राम चटुआ, तहसील एव जिला अनूपपुर (म.प्र.) हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।
2. पूर्व में SEIAA द्वारा ऑफलाईन आवेदन को मान्य करते हुए 625वी बैठक दिनांक 10.07.2020 के निर्णयानुसार पत्र क्र. 1780–81 दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
3. SEIAA उक्त संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति को 681वी बैठक दिनांक 04.08.2021 में निलम्बित रखते हुए परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पत्र क्र. 1725–26 दिनांक 24.08.2021 को सूचित किया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म –4 मे पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन किया है।

5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.01.2019 में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्पान मिनिरल्स प्रा. लि., निदेशक, श्री चन्द्रा शेखर प्रसाद सिहं, निवासी जी–3, बी–विंग, हेटकुंज वी.पी. रोड़, फिदाई बघेलन अपोजिट मित्तल कुंज अंधेरी, वेस्ट मुबंई (महाराष्ट्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं सेलबल वेस्ट 304500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.646 हेक्टेयर, खसरा 129/2, 130 से 134, 154/5, ग्राम चटुआ, तहसील एव जिला अनूपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 2059–60 दिनांक 23.01.2019 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

16. **प्रकरण क्र. 8665/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद पात्रो, आत्मज श्री दुखी लाल पात्रो , निवासी 914, सरकारी कुआ करिया पत्थर, घमापुर जिला – जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17537 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 197/2, ग्राम पहरेवा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 100 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 17400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के परामर्श से किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिवद्वता अनुसार खनन क्षेत्र के चारो ओर कुल 14.00 हे. (प्रस्तावित राशि रू. 17.00 लाख) क्षेत्र में राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के परामर्श से वृक्षारोपण समुचित सुरक्षा, रखरखाव एवं क्षतिपुर्ति वक्षारोपण की व्यवस्था के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद पात्रो, आत्मज श्री दुखी लाल पात्रो, निवासी 914, सरकारी कुआ करिया पत्थर, घमापुर जिला – जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17537 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 197/2, ग्राम पहरेवा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रं. 1878 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक17.06.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 8846/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विकास सोगानी, आत्मज श्री अभय सोगानी निवासी नेहरू पार्क के पीछे वार्ड न. 2 ग्राम मनावर,, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6373 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.128 हेक्टेयर, खसरा 150/1, ग्राम बड़गांव, तहसील मनावर, जिला – धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 704वी बैठक दिनांक 14.02.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **नदी एवं जलीय निकाय से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बड़गांव के शासकीय स्कूल में लाइब्रेरी रूम का निर्माण किया जाये एवं किताबे मुहैया कराई जायें।
- ग्राम बड़गांव के शासकीय स्कूल में पीने के पानी हेतु वाटर फिल्टर पानी की टंकी के साथ स्थापित किया जाये एवं स्कूल के खेल मैदान को विकसित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री विकास सोगानी, आत्मज श्री अभय सोगानी निवासी नेहरू पार्क के पीछे वार्ड न. 2 ग्राम मनावर,, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6373 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.128 हेक्टेयर, खसरा 150/1, ग्राम बड़गांव, तहसील मनावर, जिला – धार (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रं. 1970 दिनांक 01.08.2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.07.2028 तक वैधता मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 8845/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सैनिक फूड इन्डस्ट्रियल प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री लितेश झा, निवासी 201–202, विकास प्लाजा, बिल्डिंग नं. 2, लोकल शॉपिंग सेंटर, कालका जी, नई दिल्ली – 110019 द्वारा रेत खदान (खोदू भरू) उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.350 हेक्टेयर मे से 1.3062 हेक्टेयर (SEAC की अनुसंशा अनुसार) खसरा 995, 1003, 1008, ग्राम शिकारगंज, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वीं बैठक दिनांक 21.1.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustanable Sand Mining Guideline 2016 & Enforecement and moitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायलय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 दिये गये निर्देशानुसार परिपालन में प्रत्येक पॉच वर्ष में खनिज शाखा जिला कलेक्टर सीधी द्वारा अपडेटेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान सम्मिलित नहीं है। प्रकरण में प्रस्तावित खदान की जानकारी जिला कलेक्टर सीधी द्वारा अनुशंसित/अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर एवं SEAC से परीक्षण तथा SEIAA से अनुमोदन उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त परिदृश्य में प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से विस्तृत विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि प्रस्तावित खदान की जानकारी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित हो जाने के उपरांत परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. प्रकरण क्र. 5611/2017 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री राधेश्याम मिनरल्स, पार्टनर व्येंकटेश्वर खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर (म.प्र) – 484440 द्वारा ग्रेनाईट खदान उत्पादन क्षमता 1517 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.58 हेक्टेयर, खसरा 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1148, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150, 1152/1, 1152/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1157/5, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2क, 1159/2ख, 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171 and 1172/2 , ग्राम थानगॉव, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. प्रकरण में SEIAA समिति की 485 वी बैठक दिनांक 18.05.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क. 942 दिनांक 02.06.2018 द्वारा ग्रेनाईट ब्लाक उत्पादन क्षमता 1517 घन मीटर प्रतिवर्ष रकवा 9.58 हे. ग्राम – थानगॉव, तहसील –कोतमा, जिला – अनुपपुर हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।
2. SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 8599 घनमीटर जोड़ने हेतु 681वी बैठक दिनांक 04.08.2021 में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पत्र क्र. 1706–07 दिनांक 19.08.2021 को सूचित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म – 4 मे पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर सेलबल वेस्ट 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया है।
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02.06.2018 में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री राधेश्याम मिनरल्स, पार्टनर व्येंकटेश्वर खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर (म.प्र) – 484440 द्वारा ग्रेनाईट खदान उत्पादन क्षमता 1517 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.58 हेक्टेयर, खसरा 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1148, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150, 1152/1, 1152/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1157/5, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2क, 1159/2ख, 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171 and 1172/2 , ग्राम थानगॉव, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्रं. 942–43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

20. **प्रकरण क्र. 8752/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर, पार्टनर, श्री चन्द्रा प्रकाश, निवासी एफ–11, सिटी बाजार, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)–474011 द्वारा पत्थर खदान उत्पादन क्षमता 66000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.064 हेक्टेयर, खसरा 792, 793, ग्राम बदेरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बदेरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु ओवरहेड टैंक स्थापित करेगा।
- ग्राम बदेरा के शासकीय प्राथमिक विद्याालय में 03 पंखे, 05 कुर्सी एवं 01 टेबिल प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बदेरा में ग्रामवासियों को सौलर लालटेन, मास्क, सेनीटाइजर एवं कूड़ादान का वितरण किया जायेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर, पार्टनर, श्री चन्द्रा प्रकाश, निवासी एफ–11, सिटी बाजार, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)–474011 द्वारा पत्थर खदान उत्पादन क्षमता 66000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.064 हेक्टेयर, खसरा 792, 793, ग्राम बदेरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के पत्र क्रं. 4228 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 05.09.2031 तक वैधता मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र. 8773/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पंकज मिनरल्स, पार्टनर, श्री पंकज कोठारी, मकान नं. 517, ई–7, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान उत्पादन क्षमता 6330 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 02, ग्राम बरखेड़ा बोंदर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बरखेड़ा बोंदर के शासकीय हाई स्कूल मे 02 कम्प्यूटर एवं 01 प्रिंटर प्रदान किया जाये।
- ग्राम बरखेड़ा बोंदर में ग्रामवासियों को सौलर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पंकज मिनरल्स, पार्टनर, श्री पंकज कोठारी, मकान नं. 517, ई–7, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान उत्पादन क्षमता 6330 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 02, ग्राम बरखेड़ा बोंदर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रं. 4579 दिनांक 30.11.2019 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.11.2029 तक वैधता मान्य रहेगी।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
4. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
8. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
13. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
19. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
20. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
8. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
14. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
15. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
5. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
9. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
10. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

19. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रिर्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

24. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

25. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष